न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 68 / 2021

नरेन्द्र उम्र 50 साल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू जरिये शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा विभाग

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.05.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम दुलपुरा की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 128 तादादी 46 बीधा 17 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 46 रकबा 0.30 है0, ख0न0 47 रकबा 9.82 है0, ख0न0 48 रकबा 0.25 है0, ख0न0 49 रकबा 0.25 है0, ख0न0 50 रकबा 0.04 है0, ख0न0 45 रकबा 0.31 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 46 गै0मु0 सड़क व खसरा नम्बर 50 गै0मु0 रास्ता दर्ज है शेष खसरा नम्बरान गै0मु0 चारागाह है। खसरा नम्बर 49 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.56 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.81 है0 गै0मु0 स्कूल के नाम दर्ज है। जिसमे ग्राम दुलपुरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन बना हुआ है एवं स्कूल संचालित है। खसरा नम्बर 33 व 49 की दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 51 रकबा 1.18 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 4.47 है0, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.87 है0 वाके ग्राम दुलपुरा स्थित है जिसमें अन्य खातेदार अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है।

हाल ख0न0 51 का गत ख0न0 130 में से आवेदक के भाई मोहरसिंह पुत्र मालाराम ने गत ख0न0 130 हाल ख0न0 51 के खातेदार हणुतसिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी दुलपुरा से उसके 1/3 हिस्से में से 2 बिश्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 08.11.2000 को क्रय किया था। विक्रेता ने अपने हिस्से में से जो 2 बिश्वा भूमि आवेदक के भाई मोहरसिंह को विक्रय किया था वह भूमि ख0न0 33 व 49 के सटते हुये दक्षिणी दिशा व ख0न0 51 के उत्तरी दिशा की भूमि पर कब्जा दिया था एवं उसी भाग को विक्रय किया था। जिस पर क्रेता काबिज काश्त है। जिसको क्रेता ने अपने भाई आवेदक को आबाद होने के लिए उक्त भूमि मौखिक रूप से दी जिस पर आवेदक मकान बनाकर मय परिवार आबाद है।

ख0न0 33 व 49 के दक्षिणी दिशा व ख0न0 51 के उत्तरी दिशा में कोई रास्ता नहीं था ख0न0 33 व 49 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आवंटित भूमि है आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि के चारों तरफ पुख्ता चारदिवारी कर दी गई। चारदिवारी निर्माण के पश्चात ख0न0 51 की भूमि स्कूल के सटते हुये पुराने नक्शा ट्रेस में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर ख0न0 58

रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है यह रास्ता मौके पर निर्विवाद रूप से चालू है। दौराने पैमाईश सैटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने ख0न0 49 व 51 के मध्य में एक नया रास्ता कायम कर उसके ख0न0 50 अंकित कर दिये। वास्तव में मौके पर पूर्व में ना तो कोई रास्ता मौजूद था ना ही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद है। फिर भी सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा एक नया रास्ता कायम कर दिया तथा नक्शासीट में नया रास्ता ख0न0 50 दर्शाते हुये तरमीम कर दिया। अंत में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल ख0न0 51 वाके ग्राम दुलपुरा की हाल नक्शासीट में उत्तर दिशा में हाल ख0न0 50 रकबा 0.04 है0 गै0मु0रास्ता की प्रविष्टी नक्शासीट से हटाई जाकर 0.03 है0 जमीन अनावेदक नम्बर 2 की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा 0.01 है0 भूमि ख0न0 48 में शामिल किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 1 तहसीलदार मलसीसर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकारते हुये कथन किया कि ख0न0 50 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 रास्ता ख0न0 49, 51 व ख0न0 48 व 52 के मध्य कायम कर दिया जबकि वास्तव में मौके पर न तो पूर्व में और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद है, सैटलमेंट द्वारा दिखागया गया उपरोक्त रास्ता आगे कहीं नहीं जाता है। और न ही आगे कोई गतंव्य स्थल है। अतः सेंटलमेंट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में की गई अशुद्दि को शुद्व किया जाना उचित होगा व ख0न0 50 जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है, को शुद्व किया जाकर ख0न0 49, 51 तथा ख0न0 48 व 52 में विलय किया जाना न्यायोचित है। अनावेदकगण संख्या 2 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर इनका जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र ख0न0 50 जो कि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है, को शुद्व किया जाकर ख0न0 50 को अनावेदक संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज करने अथवा चारागाह के खाते में दर्ज कर नक्शासीट को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 50 रकबा 0.04 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ता से दुरूस्त कर गै0मु0 स्कूल दर्ज कर खातेदारी स्कूल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार नक्शासीट से रास्ता की प्रविष्टी हटाई जाकर ख0न0 50 की खातेदारी अनावेदक संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर